जमाअत इस्लामी हिन्द

एक परिचय

प्रस्तुति
शोबा तंज़ीम

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

(अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, निहायत रहमवाला है)

जमाअत इस्लामी हिन्द
एक परिचय

26 अगस्त, 1941 ई० को भारतीय उपमहाद्वीप के 75 लोग जिनमें पुराने उलमा भी थे और आधुनिक वर्ग के विद्वान और बुद्धिजीवी भी, लाहौर में जमा हुए। उन्होंने इक़ामते दीन (दीन को क़ायम करने) और इस्लाम का बोलबाला करने के लिए 'जमाअत इस्लामी' का गठन किया। आपसी सलाह-मशविरे और विचार-विमर्श के बाद उसका दस्तूर (संविधान) बनाया और सर्व-सम्मति से मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) इस जमाअत के अमीर (अध्यक्ष) चुने गए।

जमाअत इस्लामी का गठन वास्तव में मौलाना मौदूदी (रह०) के उस तीव्र एहसास और सोच के कारण ही सम्भव हो सका कि दीन को ज़िन्दा करने और अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने के लिए इजतिमाइयत (संगठन) ज़रूरी है। जमाअत का व्यावहारिक रूप से गठन करने से पूर्व मौलाना ने अपने पत्रकारिता सम्बन्धी लेखों और ज्ञानात्मक लेख-पत्रों के द्वारा पूरे यक़ीन और भरपूर दलीलों के साथ मुसलमानों का इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि उनकी सारी समस्याओं और कठिनाइयों का हल वास्तव में इस बात में है कि वे अपनी अस्ल ज़िम्मेदारी को समझें, उसके तक़ाज़ों को पूरा करें और अपने जीवन से उस विरोधाभास को दूर करें जिसकी वजह से वे दीन

की सही नुमाइंदगी करने के बजाय, उसकी ग़लत तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने क़ुरआन व हदीस की रौशनी में दलीलों के साथ इस हक़ीक़त को स्पष्ट किया कि दीन को क़ायम करने की ज़िम्मेदारी इजतिमाई (सामूहिक) कोशिशों के द्वारा ही पूरी हो सकती है। उन्होंने आम तरीक़े से हटकर दीने-हक़ (सत्य-धर्म) की व्यापक कल्पना को उजागर किया, उसको कुछ रस्मों और कुछ ख़ास इबादतों से अधिक बुलन्द साबित किया और साथ ही उस ज़माने पर छाए हुए ग़ैर-इस्लामी दृष्टिकोणों और राइज चिन्तन-प्रणालियों की दलीलों के साथ भरपूर आलोचना की और इस्लामी मानदण्डों और विचारधाराओं की महानता सिद्ध कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लाम एक दयालुतापूर्ण व्यवस्था है जो न केवल यह कि आख़िरत की कामयाबी व नजात (मुक्ति) की ज़मानत देता है, बल्कि इस संसार में भी व्यावहारिक रूप से न्याय-व्यवस्था क़ायम कर चुका है और वर्तमान समय में भी क़ायम कर सकता है।

मौलाना मौदूदी (रह०) ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर बहुत-सी किताबें तैयार कीं जिनकी भाषा, दलील का अन्दाज़ और लेखन-शैली की ताज़गी ने दिमाग़ों को प्रभावित किया और दिलों को मोह लिया। उनके इन लेखों का ही परिणाम है कि उपमहाद्वीप के आम मुसलमानों में जमाअत की दावत (सन्देश) ग़ैरमामूली तौर पर फैली। सोए हुए ज़ेहन जाग उठे, जज़्बात में गर्मी पैदा हुई। ये प्रभाव आम और ख़ास दोनों प्रकार के लोगों में फैलते चले गए। विशेषकर मौलाना मौदूदी (रह०) की पत्रिका 'तर्जुमानुल क़ुरआन' प्राचीन व आधुनिक ज्ञान के व्यापक अध्ययन, गहन चिन्तन, आधुनिक तर्क शैली तथा अत्यन्त प्रभावी साहित्यिक शैली के साथ इस्लाम की

व्याख्या की अत्यन्त प्रभावकारी साधन थी। उसके लेख वैचारिक बिखराव और लाचार वर्णन शैली के बीच मार्गदीप के समान थे। मौलाना ने इन लेखों में इल्हाद (बेदीनी), सन्देहों तथा पश्चिम के असत्य विचारों व धारणाओं पर तर्कसंगत और कड़ी आलोचनाएँ कीं तथा उनके खोखलेपन को स्पष्ट किया। बादशाहत, डिक्टेटरशिप (Dictatorship) नाज़ीवाद, धर्मविहीन लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद तथा धर्मविहीन साम्यवाद के घातक परिणामों को तर्कों और प्रमाणों से सिद्ध किया और उनके मुक़ाबले में इस्लाम की सत्यता और इंसानियत के लिए उसका ख़ैर व बरकत (कल्याणकारी) होना स्पष्ट किया।

मौलाना के इन लेखों ने जो वातावरण उत्पन्न किया और स्वीकृति तथा संकल्प की इससे जो लहरें उठीं उसका स्वाभाविक परिणाम था कि जब उन्होंने जमाअत इस्लामी के गठन का आहवान किया तो उलमा, बुद्धिजीवी और जन साधारण इसके लिए तैयार हो गए। देश-विभाजन के समय तक मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) जमाअत का नेतृत्व करते रहे। देश-विभाजन के बाद जमाअत दो भागों में विभाज़ित हो गई। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) पाकिस्तान के अमीर जमाअत (अध्यक्ष) रहे और ज़माअत इस्लामी हिन्द ने 1948 ई० में मौलाना अबुल्लैस नदवी (रह०) को जमाअत का अध्यक्ष निर्वाचित किया। उस समय जमाअत इस्लामी हिन्द के दो सौ चालीस (240) सदस्य थे। जमाअत का मर्कज़ (मुख्यालय) मलीहाबाद, लखनऊ, (उ०प्र०) में क़ायम हुआ। फिर 1949 ई० के अन्त में रामपुर (उ०प्र०) में स्थानान्तरित हुआ और 1960 ई० में दिल्ली में। अब 1999 ई० से दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्क्लेव, ओखला, नई दिल्ली-25 में है।

नस्बुलऐन (लक्ष्य)

जमाअत इस्लामी हिन्द का नस्बुलऐन इक़ामते दीन (दीन को क़ायम करना) है, जिसका वास्तविक प्रेरक केवल अल्लाह की प्रसन्नता और आख़िरत की कामयाबी की प्राप्ति है।

तशरीह (व्याख्या)

'इक़ामते दीन' (दीन को कायम करना) में शब्द 'दीन' से मुराद वह सत्य-धर्म है जिसे सारे जहान का रब, अल्लाह, अपने तमाम नबियों के द्वारा विभिन्न कालों तथा विभिन्न देशों में भेजता रहा है और जिसे अन्तिम और पूर्ण रूप में सारे इंसानों की हिदायत के लिए अपने आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा भेजा और जो अब दुनिया में एक ही प्रामाणिक, सुरक्षित और अल्लाह के निकट मान्य दीन है और जिसका नाम 'इस्लाम' है।

यह दीन इंसान के खुले और छिपे और उसके जीवन के सारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक पहलुओं को घेरे हुए है। अक़ीदों, इबादतों और अख़लाक़ से लेकर अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति तक मानव जीवन का कोई एक विभाग भी ऐसा नहीं है जो उसकी परिधि से बाहर हो।

यह दीन जिस प्रकार अल्लाह की प्रसन्नता और आख़िरत की कामयाबी की ज़मानत देता है उसी प्रकार सांसारिक समस्याओं के उचित हल के लिए सर्वोत्तम जीवन-व्यवस्था भी है और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का कल्याणकारी तथा विकासशील निर्माण केवल इसी की स्थापना से सम्भव है।

इस दीन की इक़ामत (स्थापना) का अर्थ यह है कि किसी भेद-भाव और काट-छाँट के बिना इस पूरे दीन का सच्चे दिल से पालन

किया जाए और हर ओर से एकाग्र होकर किया जाए। मानव-जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक सभी क्षेत्रों में इसे इस प्रकार जारी और लागू किया जाए कि व्यक्ति का विकास, सामाज का निर्माण तथा राज्य का गठन सब कुछ इसी दीन के अनुसार हो।

इस दीन की इक़ामत (स्थापना) का आदर्श और सर्वोत्तम व्यावहारिक नमूना वह है जिसे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और (आपके बाद) ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (रज़ि०) ने क़ायम किया।

तरीक़-ए-कार (कार्य-प्रणाली)

अपने नस्बुलऐन (लक्ष्य) को हासिल करने के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द का तरीक़-ए-कार निम्नलिखित होगा :

(1) क़ुरआन और सुन्नत जमाअत के काम की बुनियाद होंगी। दूसरी सारी चीज़ें दूसरे दर्जे की हैसियत से केवल उस हद तक सामने रखी जाएँगी जिस हद तक क़ुरआन व सुन्नत की वृष्टि से उनकी गुंजाइश हो।

(2) जमाअत अपने कामों में नैतिक सीमाओं (मर्यादाओं) की पाबन्द होगी और कभी ऐसे साधन और तरीक़े इस्तेमाल न करेगी जो सच्चाई और ईमानदारी के विपरीत हों या जिनसे साम्प्रदायिक नफ़रत, वर्गीय संघर्ष और धरती पर फ़साद और बिगाड़ पैदा हो।

(3) जमाअत अपने नस्बुलऐन (लक्ष्य) को पाने के लिए रचनात्मक और शांन्तिपूर्ण तरीक़े अपनाएगी, अर्थात् वह तबलीग़ (प्रचार) और नसीहत तथा विचारों के प्रसार के द्वारा मन, बुद्धि और चरित्रों का सुधार करेगी, और इस प्रकार देश के सामूहिक जीवन में अपेक्षित रचनात्मक एवँ कल्याणकारी क्रान्ति लाने के लिए जनमत को प्रशिक्षित करेगी।

कार्यक्रम

अप्रैल 1947 ई० में मद्रास (अब चेन्नई) में हिन्दुस्तान और मुसलमानों के हालात का राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक (दीनी) और नैतिक पहलुओं से एक व्यापक विश्लेषण किया गया जो बाद में व्यावहारिक रूप से पूरा होकर रहा। यह विश्लेषण "तहरीके-इस्लामी का आइन्दा लाहे अमल (आगामी कार्यक्रम)" के नाम से प्रकाशित हुआ था। विश्लेषण के बाद इसमें चार सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था जिसके मूल बिन्दू ये हैं :

(1) इस क़ौमी कशमकश को समाप्त किया जाए जो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अब तक जारी रही है। यह बात पहले भी ग़लत थी कि मुसलमान इस्लाम के लिए काम करने के बजाय अपने क़ौमी स्वार्थों व माँगों के लिए लड़ते रहें। आनेवाले हालात में यह सिर्फ़ ग़लत ही नहीं बल्कि घातक भी होगी। मुसलमानों को क़ौमी कशमकश पर आधारित राजनीति से अलग हो जाना चाहिए।

(2) मुसलमानों में बड़े पैमाने पर इस्लाम का इल्म (ज्ञान) फैलाया जाए और उनमें इस्लाम की दावत और तब्लीग़ का आम जज़्बा पैदा किया जाए। उनके नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का इस हद तक सुधार किया जाए कि वे इस्लाम के नुमाइन्दे बनकर सामने आ सकें और इस प्रकार ग़ैर-मुस्लिमों में इस्लाम का सही परिचय करा सकें।

(3) मुसलमानों की मानसिक शक्तियों और योग्यताओं को इस्लाम की ज्ञान-सम्बन्धी, साहित्यिक तथा पत्रकारिता की सेवा में लगाने की व्यवस्था की जाए।

(4) हिन्दुस्तान की विभिन्न भाषाओं में इस्लाम का आवश्यक साहित्य जल्द से जल्द रूपान्तरित कर दिया जाए और जमाअत के कार्यकत्ता अपने-अपने क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषाएँ सीखें ताकि आगे से इन भाषाओं को (दीन की) दावत के प्रसार का माध्यम बनाया जा सके।

जमाअत की रुकनियत (सदस्यता)

इण्डियन यूनियन का हर नागरिक चाहे वह मर्द हो या औरत और चाहे वह किसी सम्प्रदाय या नस्ल से सम्बन्ध रखता हो, जमाअत इस्लामी हिन्द का रुक्न (सदस्य) बन सकता है, शर्त यह है कि वह :

(1) अक़ीदा 'ला इला-ह इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' के भावार्थ को उसकी व्याख्या के साथ समझ लेने के बाद गवाही दे कि यह उसका अक़ीदा है।

(2) जमाअत के नस्बुलऐन (लक्ष्य) को उसकी व्याख्या के साथ समझ लेने के बाद इक़रार करे कि यही उसका नस्बुलऐन है।

(3) जमाअत की सुनिश्चत कार्य-प्रणाली (तरीक़-ए-कार) की पूरी पाबन्दी का इक़रार करे।

(4) जमाअत के दस्तूर (संविधान) को समझ लेने के बाद प्रतिज्ञा करे कि वह इस दस्तूर की और इससे सम्बन्धित जमाअत के अनुशासन की पाबन्दी करेगा।

जमाअत का निज़ाम (व्यवस्था)

जमाअत इस्लामी हिन्द का निज़ाम (व्यवस्था) शूराई (मंत्राणात्मक) है और संगठन की दृष्टि से मर्कज़ी (केन्द्रीय), हलक़ावार (क्षेत्रीय) तथा मक़ामी (स्थानीय) व्यवस्थाओं पर आधारित है।

आवश्यकतानुसार इलाक़ाई और ज़िलई व्यवस्थाएँ भी क़ायम की जाती हैं।

मर्कज़ी निज़ाम (केन्द्रीय व्यवस्था)

जमाअत की केन्द्रीय व्यवस्था मजलिस नुमाइन्दगान (प्रतिनिधि सभा), अमीर जमाअत (अध्यक्ष), मर्कज़ी मजलिस शूरा (केन्द्रीय सलाहकार समिति) और क़य्यिम जमाअत (महासचिव) चार अंगों पर आधारित है।

मजलिस नुमाइन्दगान (प्रतिनिधि सभा)

यह मजलिस (सभा) जमाअत के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों, अमीर जमाअत और क़य्यिम जमाअत (महासचिव) पर आधारित होती है जिसका कार्यकाल चार वर्ष होता है।

अमीर जमाअत (जमाअत का अध्यक्ष)

जमाअत इस्लामी हिन्द के अमीर (अध्यक्ष) की हैसियत इस जमाअत के रहनुमा की होती है। जमाअत के सदस्य 'मारूफ़' (भले कामों) में उसके आज्ञापालन के पाबन्द होते हैं और जमाअत की दावत अपने अमीर के व्यक्तिगत या अध्यक्ष-पद की ओर न होकर अपने अक़ीदे और नस्बुलऐन (लक्ष्य) की तरफ़ होती है।

अमीर जमाअत का चुनाव मजलिस नुमाइन्दगान (प्रतिनिधि सभा) अपने चार वर्षीय कार्यकाल के लिए करती है, जिसके लिए उन गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक ठहराया गया है जिनकी हिदायत व रहनुमाई इस्लामी शिक्षाओं से मिलती है।

नाइब अमीर जमाअत (उपाध्यक्ष)

अमीर जमाअत दावत (आह्वान, प्रचार-प्रसार) व तरबियत से

सम्बन्धित कामों को करने के सिलसिले में अपने सहयोग के लिए मर्कज़ी मजलिस शूरा (केन्द्रीय सलाहकार समिति) के मशविरे से नाइब अमीर/नाइब उमरा (उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों) को नियुक्त कर सकता है जो अपने कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अमीर जमाअत के सामने उत्तरदायी होते हैं।

मर्कज़ी मजलिस शूरा (केन्द्रीय सलाहकार समिति)

अमीर जमाअत के सहयोग और सलाह व मशविरे के लिए एक मजलिस शूरा (सलाहकार समिति) है जिसके कुल सदस्यों की संख्या 19 है। इनमे से 18 का चुनाव मजलिस नुमाइन्दगान (प्रतिनिधि सभा) अपने में से करती है तथा 19वाँ सदस्य क़य्यिम जमाअत (महासचिव) पदाधिकारी की हैसियत से होता है। मजलिस शूरा का कार्यकाल भी चार साल ही होता है।

क़य्यिम जमाअत (महासचिव)

जमाअत इस्लामी हिन्द का एक क़य्यिम (महासचिव) होता है जिसकी नियुक्ति अमीर जमाअत करता है। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में अमीर जमाअत मजलिस शूरा (सलाहकार समिति)के सदस्यों की रायों को भी सामने रखता है। क़य्यिम जमाअत (महासचिव) अपनी ज़िम्मेदारियों को अमीर जमाअत के निर्देशों के मुताबिक़ पूरी करता है और इस सम्बन्ध में वह अमीर जमाअत (अध्यक्ष) के सामने उत्तरदायी है।

मुआविन क़य्यिम (सहायक महासचिव)

क़य्यिम जमाअत (महासचिव) के सहयोग के लिए अमीर जमाअत

सहायक महासचिव/सचिवों की नियुक्ति भी मर्कज़ी मजलिस शूरा (केन्द्रीय सलाहकार समिति) के मशविरे से करता है। सहायक महासचिव अपने कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के लिए महासचिव के सामने उत्तरदायी होते हैं।

हलक़ावार निज़ाम (क्षेत्रीय व्यवस्था)

पूरे देश में संगठन की दृष्टि से जमाअत के निम्नलिखित सोलह (16) हलक़े हैं। हर हलक़ा (क्षेत्र) एक अमीर (अध्यक्ष) के अधीन होता है। अमीर हलक़ा (क्षेत्रीय अध्यक्ष) की नियुक्ति अमीर जमाअत हलक़े के सदस्यों की रायों और जमाअत के हितों को सामने रखते हुए हलक़े की मजलिस शूरा (सलाहकार समिति) के मशविरे से करता है।

अमीर हल्क़ा मर्कज़ (मुख्यालय) के निर्देशों के अनुसार अपने हल्क़े की जमाअतों के अनुशासन और व्यवस्था तथा हल्क़े के सदस्यों की तरबियत का ज़िम्मेदार होता है और इन सारे मामलों में अमीर जमाअत के सामने उत्तरदायी होता है।

हल्क़े की मजलिस शूरा (क्षेत्रीय सलाहकार समिति)

हर अमीर हल्क़ा (क्षेत्रीय अध्यक्ष) के लिए हल्क़े की एक सलाहकार समिति होती है जिसका चुनाव हल्क़े के सदस्य चार साल के लिए करते हैं।

जमाअत के तंज़ीमी हल्क़े (संगठनात्मक क्षेत्र) इस प्रकार हैं :

(1) असम (2) पश्चिम बंगाल (3) बिहार (4) झारखण्ड (5) उत्तर प्रदेश (पूर्व) (6) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (7) दिल्ली व हरियाणा (8) पंजाब (9) राजस्थान (10) गुजरात (11) मध्य प्रदेश व छत्तीस गढ़ (12) महाराष्ट्र (13) आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा (14) कर्नाटक व गोवा (15) तमिलनाडु (16) केरल व अण्डमान।

मक़ामी निज़ाम (स्थानीय व्यवस्था)

जिस स्थान पर एक से अधिक जमाअत के अरकान (सदस्य) हों, वहाँ मक़ामी (स्थानीय) जमाअत क़ायम हो जाती है। हर मक़ामी जमाअत का एक अमीर (अध्यक्ष) होता है जिसकी नियुक्ति अमीर जमाअत, जमाअत के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सदस्यों और अमीर हल्क़ा की रायों को सामने रखते हुए करता है।

अमीर मक़ामी (स्थानीय अध्यक्ष) अमीर हल्क़ा (क्षेत्रीय अध्यक्ष) के निर्देशों के अधीन अपनी जमाअत की व्यवस्था और मक़ामी अरकान की तरबियत व रहनुमाई का ज़िम्मेदार होता है और जमाअत के काम जमाअत के मक़ामी अरकान के मशविरे से करता है। अलबत्ता जिन स्थानों पर सदस्यों की संख्या 20 से अधिक हो वहाँ मक़ामी मजलिस शूरा (स्थानीय सलाहकार समिति) का गठन भी किया जा सकता है। मक़ामी अमीर(स्थानीय अध्यक्ष) अपने सम्बन्धित कर्त्तव्यों के सिल-सिले में अमीर हल्क़ा(क्षेत्रीय अध्यक्ष) के सामने उत्तरदायी होता है।

जमाअत हर चार वर्षीय मीक़ात (कार्यकाल) के शुरू में अपनी नीति (Policy) तय करती है। इसकी वर्तमान नीति (Policy) निम्निलिखित पाँच सूत्रों पर आधारित है :

(1) दावत (आमन्त्रण, आह्वान)

जमाअत, दावत का काम इस प्रकार करेगी कि ग़ैर-मुस्लिम भाई इस्लाम की मूल शिक्षाओं (तौहीद, रिसालत, आख़िरत) और उनके बुनियादी तक़ाज़ों से परिचित हो जाएँ और यह हक़ीक़त भी उनपर स्पष्ट हो जाए कि इस्लाम ही एक मात्र न्याय व दयालुतापूर्ण व्यवस्था है और यह कि इंसान की सांसारिक सफलता और आख़िरत की नजात (मुक्ति) अपने पैदा करनेवाले, मालिक और पालनहार की ख़ालिस बन्दगी की

राह अपनाने में है। शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तथा इल्हाद (बेदीनी), अन्य असत्य विचार व धारणाएँ और नैतिक बुराइयों का घृणित व हानिकारक होना उनपर स्पष्ट हो जाए। साथ ही इस्लाम, मुसलमानों और तहरीके इस्लामी (इस्लामी आन्दोलन) के बारे में उनकी ग़लतफ़हमियाँ और भ्रांतियाँ दूर हों।

(2) इस्लामी समाज

(क) जमाअत मुसलमानों के सामने इस्लाम का सही और मुकम्मल तसव्वुर (कल्पना) और व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में उसके तक़ाज़ों को हिकमत (सूझबूझ) के साथ इस प्रकार स्पष्ट करेगी कि उनके अन्दर आख़िरत की फ़िक्र और अल्लाह की ख़ुशी हासिल करने का जज़्बा पैदा हो। उनकी ज़िन्दगियाँ चिन्तन और कर्म की सारी ख़राबियों और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तथा बिदअत (दीन में अपने मन से नई बात गढ़ना) से पाक और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार हो जाएँ और वे पूरी शरीअत की पाबन्दी करने लगें। दीनी बुनियादों पर संगठित होकर अपनी कथनी व करनी से दीने-हक़ (सत्य-धर्म) की शहादत देने लगें और इस्लाम के क़ायम करने का अपना पद-सम्बन्धी कर्तव्य पूरा करने के योग्य हो जाएँ।

(ख) जमाअत उन अहम मामलों और समस्याओं पर भी यथोचित ध्यान देगी जिनका सम्बन्ध दीन और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा व स्थायित्व और उसकी धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान से हो।

(3) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

(क) जमाअत देश के अन्दर मौलिक मानवाधिकार, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति, धार्मिक, भाषायी और

सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की पहचान की, अनैतिक व असंवैधानिक गतिविधियों व कार्यवाहियों से रक्षा तथा इंसानी भाईचारा और नैतिक मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य के अनुसार जिद्दोजुहद करेगी और मूल्यहीन और अत्याचार व शोषण पर आधारित राजनीति की आलोचना करेगी।

(ख) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ जिनपर विचार व्यक्त करना न्याय व इंसाफ़, नैतिकता व शराफ़त (सज्जनता), इंसान दोस्ती और इस्लामी भाईचारे का तक़ाज़ा है, जमाअत उनपर आवश्यकतानुसार निष्पक्षपूर्ण और न्यायसंगत विचार व्यक्त करेगी।

(4) जन सेवा

जमाअत धर्म व जाति के भेद-भाव के बिना रोगियों, अपंगों तथा ज़रूरतमंदों को सहारा देने और मुसीबत में फँसे हुए लोगों और पीड़ितों को सहायता पहुँचाने का आवश्यकता व सामर्थ्य के अनुसार प्रबन्ध करेगी।

(5) प्रशिक्षण व संगठन

जमाअत अपने अरकान (सदस्यों) और कार्यकर्त्ताओं के मानसिक, वैचारिक व व्यावहारिक और दीनी व अख़लाक़ी (नैतिक) प्रशिक्षण और अपने आन्तरिक स्थायित्व की विशेष व्यवस्था करेगी और इस बात का प्रयास करेगी कि उनका अल्लाह तआला से ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हो और वे अपने पूरे जीवन में इस्लाम के सच्चे अनुयायी, इक़ामत दीन (दीन क़ायम करने) के लिए क्रियाशील, सत्यमार्ग में त्याग व बलिदान, धैर्य व दृढ़ता के द्योतक और अनुशासन व संगठन की दृष्टि से सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएँ। इस काम की ओर जमाअत को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा।

रहनुमा उसूल

जमाअत का कार्यक्रम जो— उपर्युक्त पॉलिसी (Policy) की रौशनी में— आगे लिखा है, उसे व्यावहारिक रूप देने के सिलसिले में निम्नलिखित बातें "रहनुमा उसूल" के रूप में सामने रहेंगी :

(1) जमाअत के कार्यकर्त्ताओं को सबसे पहले स्वयं अपने सुधार और तरबियत पर ध्यान देना होगा।

(2) ग़ैर-मुस्लिमों को दीन हक़ (सत्य-धर्म) की दावत और मुसलमानों के सुधार व तरबियत का प्रोग्राम हमारी कोशिशों का दूसरा अहम बिन्दु होगा, जिसपर ध्यान देना होगा।

(3) कार्यक्रम के शेष अंशों के सिलसिले में हर तंज़ीमी हलक़ा (संगठनात्मक क्षेत्र) और हर मक़ाम के जमाअत के लोग अपने हालात व ज़रूरतों को सामने रखते हुए आपसी मशविरे से तय करेंगे कि उनमें से किन-किन कामों को वे किस हद तक पूरा करेंगे।

(4) हर कार्यकर्त्ता का कार्यक्षेत्र मूलतः उसका घरेलू और क़रीबी माहौल होगा और मक़ामी (स्थानीय) जमाअत या क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं व सहमत व्यक्तियों का कार्य-क्षेत्र उनकी अपनी बस्ती होगी।

(5) जमाअत के कार्यकर्त्ता देश के समस्त मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम नागरिकों से सम्पर्क स्थापित करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश

करेंगे। अपने कामों के सम्बन्ध में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे और अपने उसूलों (सिद्धान्तों) के तहत उनके साथ भी सहयोग करेंगे।

(6) शहर हों या देहात (गाँव), स्थिति के अनुसार हर जगह कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप दिया जाएगा और शिक्षित तथा अशिक्षित मर्दों और औरतों को और इसी तरह छात्र-छात्राओं को आकृष्ट करने और परिचित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।

(7) मीक़ाती प्रोग्राम (कालावधि कार्यक्रम) को क्रियान्वित रूप देने के लिए हालात के मुताबिक़ तमाम प्रचलित भले तरीक़े व साधन अपनाए जाएँगे।

संगठनात्मक शक्ति

ये आँकड़े दिसम्बर 2002 ई० तक के हैं

जमाअत के अरकान (सदस्य) मर्द	4937
जमाअत की अरकान (सदस्याएँ) औरतें	419
मक़ामी जमाअतें (स्थानीय जमाअतें)	702
कार्यकर्त्ता मर्द	23596
कार्यकर्त्ता औरतें	5153
मर्द व औरत कार्यकर्त्ताओं के सर्किल	2473
सहमत मर्द	157048
सहमत औरतें	56871
सहमत मर्द-औरतों के सर्किल	1276
ग़ैर-मुस्लिमों में दावत (सम्पर्क में) मर्द	361141
ग़ैर-मुस्लिमों में दावत (सम्पर्क में) औरतें	43898
सहयोगी मर्द	8506

सहयोगी औरतें	557
इस्लामी समाज़ सम्पर्क में (मुसलमान) मर्द	784074
इस्लामी समाज सम्पर्क में (मुसलमान) औरतें	150414
छात्राएँ	8900
छात्राओं के सर्किल	225
मस्जिदें व तरबियती केन्द्र	12075
मस्जिदों के इमामों से सम्पर्क	8499
व्यस्क शिक्षा केन्द्र (मर्दों के लिए)	9923
व्यस्क शिक्षा केन्द्र (औरतों के लिए)	8327
शरई पंचायतें	28
ज़कात की आम सामूहिक व्यवस्थाएँ	501
लाइब्रेरियाँ और अध्ययन कक्ष	959
स्टडी सर्किल (Study Circle)	1536
प्रकाशन-गृह	10

समाज सेवा के साधन

चिकित्सा केन्द्र	100
ब्याज रहित क़र्ज़ स्कीमें	328

छात्र संगठन :

स्टूडेन्टस इस्लामिक आरगनाइज़ेशन आफ़ इण्डिया

यह संगठन सीधे जमाअत इस्लामी हिन्द के संरक्षण में कार्यरत है जिसका विवरण इस प्रकार है :

सदस्य	3049
एसोसिएट्स	40546
यूनिट (सदस्य)	531

सर्किल्स (एसोसिएट्स)	1179
हमदर्द	5857
सदस्य चिल्ड्रन सर्किल (11 वर्ष से कम आयु के छात्र)	29441

शिक्षा-समस्या

इस समस्या ने दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा) और आधुनिक शिक्षा, दोनों ज़रूरतों पर ध्यान दिलाया है। प्रारम्भिक कक्षाओं में दोनों ज़रूरतें सामने हैं। छोटी-बड़ी दर्सगाहें (विद्यालय) जारी हैं जिनके लिए इस्लामी दृष्टिकोण और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार जूनियर हाई स्कूल, सरकारी व अर्ध-सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम के जाइज़े के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं ताकि यह देखा जाता रहे कि इन स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में कोई ऐसी चीज़ तो मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती जो उनके अक़ीदों पर बुरा असर डालती और इस्लामी इतिहास व परम्पराओं के सिलसिले में ग़लतफ़हमी व बदगुमानी का सबब बन सकती हो। जाइज़े के बाद ज़रूरत के मुताबिक़ राज्य और केन्द्र की सरकारों को सुधार की ओर ध्यान दिलाया जाता रहता है। जहाँ तक उच्चतम आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत का सम्बन्ध है तो इसके सिलसिले में कोशिश की जाती है कि मुसलमानों को प्रेरित करके स्कूल और कालेज क़ायम कराए जाएँ, जहाँ आवश्यकतानुसार छात्रों को दीनियात (मज़हबी बातों) की जानकारी भी होती रहे और वे आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकें।

इस समय 158 प्राइमरी स्कूल, 80 हाई स्कूल, 29 कॉलेजेस, 20 प्राद्यौगिक संस्थान, 278 दीनी मदरसे और 50 छात्रावास (हासटल) क़ायम हैं जिनके द्वारा छात्रों में सही शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य किया

जा रहा है। इनके अलावा 183 अन्य शिक्षण-संस्थाओं से भी सम्पर्क है।

प्रकाशन-संस्थान

दिल्ली में ह्यूमन वेलफ़ेयर ट्रस्ट (Human Welfare Trust) की मिलकियत में मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स—उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओं में इस्लामी साहित्य और इस्लामी मदरसों व स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार का कार्य करता है। देश में मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से जुड़ी हुई अनेक एजेंसियाँ काम कर रही हैं और उनके द्वारा अल्लाह के बन्दों तक लाखों किताबें पहुँच रही हैं।

मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में क़ुरआन व हदीस के अनुवादों के और अन्य इस्लामी साहित्य के प्रकाशन व प्रसार के लिए जो मुख्य प्रकाशन-संस्थान कार्य कर रहे हैं वे निम्नलिखित हैं—

मलयालम (केरल), तेलुगु (आन्ध्र प्रदेश), तमिल (तामिलनाडु) कन्नड़ (कर्नाटक), मराठी (महाराष्ट्र), गुजराती (गुजरात), बंगला (पश्चिम बंगाल), असमिया (असम), पंजाबी (पंजाब)।

समाचार पत्र व पत्रिकाएँ

देश की विभिन्न भाषाओं में कुछ ऐसे समाचार पत्र व पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं जो इस्लाम की दावत को फैलाने, इस्लामी विचारों व शिक्षाओं की तर्जुमानी और देश व समाज की समस्याओं पर इस्लामी दृष्टिकोण से समीक्षा करने और इस प्रकार जनमत को प्रशिक्षित करने में लाभकारी सेवा कर रही हैं। इस सिलसिले में

निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

सेहरोज़ा "दावत" (तीन दिवसीय उर्दू समाचार पत्र) दिल्ली, "ज़िन्दगी-ए-नौ" (उर्दू मासिक पत्रिका) दिल्ली, साप्ताहिक व मासिक "कान्ति" दिल्ली, साप्ताहिक "रेडियन्स" (अंग्रेज़ी), "तहक़ीक़ात इस्लामी" (त्रैमासिक) अलीगढ़, साप्ताहिक "मुजाहिद" (असमिया) असम, साप्ताहिक "मीज़ान" (बंगला) पश्चिम बंगाल, साप्ताहिक "गीतुराई" (तेलुगु) हैदराबाद, पाक्षिक "समरसम" (तमिल) चेन्नई, दैनिक व मासिक "प्रबोधनम" (मलयालम) कालीकट, साप्ताहिक "सन्मार्ग" (कन्नड़) बैंगलूर, साप्ताहिक "शान्तिमार्ग" (मराठी) मीरज और साप्ताहिक "शाहीन" (गुजराती) अहमदाबाद।

कुछ अहम बातों के बारे में जमाअत इस्लामी हिन्द का दृष्टिकोण

एक सर्वव्यापी जीवन-व्यवस्था की ध्वजावाहक होने की हैसियत से जमाअत इस्लामी हिन्द देश और मिल्लत की अहम समस्याओं के बारे में, जैसा कि इसकी पॉलिसी व प्रोग्राम से स्पष्ट है, एक सुनिश्चित दृष्टिकोण रखती है। इसके कार्यकर्त्ता और पत्र-पत्रिकाएँ निरन्तर इसका प्रचार भी करते रहते हैं। उनमें से कुछ वे समस्याएँ हैं जिनके बारे में कुछ जमाअतों और व्यक्तियों को ग़लतफ़हमी हुई है या उन्होंने किसी वजह से लोगों को ग़लतफ़हमी में डालने की कोशिश की है। इस लिए यह उचित मालूम होता है कि इस पुस्तिका में उन बातों को भी ले लिया जाए।

(1) लोकतन्त्र

इस्लामी जीवन-प्रणाली का एक अहम उसूल यह है कि महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों में फ़ैसले आपस के मशविरे से किए जाएँ। हम इस उसूल (सिद्धान्त) को केवल इंसानी भलाई और अन्तर्निहित हितों की दृष्टि से ही ज़रूरी नहीं समझते बल्कि अल्लाह तआला के एक पवित्र आदेश की हैसियत से भी उसके पालन को अपना कर्तव्य समझते हैं। ज़ोर-ज़बरदस्ती, तानाशाही और सर्वाधिकारवाद को हम इंसानियत और इस्लाम दोनों के विरुद्ध समझते हैं और बिना किसी शर्त के इन्हें

रद्द करते हैं।

आधुनिक काल में जन-संप्रभुत्व की विचारधारा ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह यही थी कि पैतृक बादशाहतों और विशिष्ट धार्मिक वर्गों की ज़ोर-ज़बरदस्ती व तानाशाही से जनता को मुक्ति दिलाकर हुकूमतों की राजनैतिक व्यवस्था को उसकी जनता के स्वतन्त्र मत पर आधारित आपस के परामर्श से किए हुए फ़ैसलों के आधार पर स्थापित किया जाए। परन्तु पश्चिम की कुछ क़ौमों में इस विचारधारा को बढ़ावा उस समय मिला जब इन क़ौमों पर इलहाद (अनीश्वरवाद) और भौतिकवाद छाया हुआ था। साथ ही ये क़ौमें अपनी धार्मिक वर्ग की कट्टरता (Theocracy) के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस कशमकश और अनीश्वरवादी दर्शन से प्रभावित होकर इन क़ौमों ने जन-सामान्य के अपने इरादे और संकल्प के अधिकार को जगत्-स्वामी ईश्वर के संप्रभुत्व के मुक़ाबले में ला खड़ा किया। अपने इरादे की स्वतंत्रता के अधिकार और आपसी मशविरों के सिद्धान्त के माननेवालों ने अपने दृष्टिकोण को सत्य सिद्ध करने के लिए (जिसे लोकतन्त्र का नाम दिया गया) यह आवश्यक समझा कि ख़ुदा के संप्रभुत्व के दृष्टिकोण को नकार दें। ईश्वरीय संप्रभुत्व की इस्लामी धारणा उस धर्म तंत्र (Theocracy) से बिल्कुल भिन्न है, जिसे पश्चिमी देशों की जनता ने दमन का पर्याय ठहराकर उचित तौर पर रद्द कर दिया। हमारी दृष्टि में जनता के अपने इरादे और संकल्प की स्वतंत्रता का अधिकार इस तथ्य के विरुद्ध नहीं है कि इंसानों का वास्तविक शासक सिर्फ़ ख़ुदा है और सारे इंसानों को स्वेच्छापूर्वक उसी की इच्छा का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। जमाअत इस्लामी हिन्द किसी इंसान या इंसानी गिरोह को इसका

हक़दार नहीं समझती कि वह अपने प्रभुत्व को बलपूर्वक लोगों पर थोप दे। जमाअत की दृष्टि में किसी धार्मिक (मज़हबी) वर्ग या परिवार को यह स्थान (पद) प्राप्त नहीं है कि वह जगत् प्रभु ईश्वर के संप्रभुत्व का एक मात्र प्रतिनिधि होने का दावा करे।

ईश्वरीय संप्रभुत्व का उसूल और अक़ीदा (धारणा), उन लोगों के लिए एक संदेश और आमंत्रण है जिन्हें इरादे और अमल की आज़ादी हासिल है। जिस देश की जनता इस संदेश को स्वीकार करके अपने मताधिकार को ख़ुदा के आदेशों के अनुसार व्यवहार में लाएगी और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपने देश में ख़ुदा का आदेश लागू करेगी, उस देश में सही अर्थों में ख़ुदा की हुकूमत (ईश्वरीय शासन व सत्ता) क़ायम हो जाएगी। सरकार का गठन, सदस्यों का निलम्बन व नियुक्तियाँ और उसके सारे फ़ैसले जनता द्वारा होंगे और लोकतान्त्रिक ढंग से होंगे, अलबत्ता इन सभी मामलों में राज्य ख़ुदा के आदेशों का पाबन्द होगा।

जमाअत इस्लामी न तो तथाकथित धर्मतंत्र (Theocracy) की ध्वजावाहक है न वह जनता के इरादे व अमल की आज़ादी के अधिकार का इंकार करती है, बल्कि वह जनता को स्वतन्त्र रूप से अपने मत के उपयोग और आपसी विचार-विमर्श से सामाजिक मामलों के फ़ैसले करने का अधिकार देते हुए उसे ख़ुदापरस्ती (ईश-भक्ति) की ओर बुलाती है।

धर्म-निरपेक्षता (Secularism)

भारत को इन अर्थों में एक धर्म-निरपेक्ष देश कहा जाता है कि इसका संविधान विभिन्न धर्मों और उनके अनुयायियों के मध्य निष्पक्ष है यानी वह धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार के भेद-

भाव को वैध नहीं समझता, उसकी दृष्टि से विभिन्न धर्म के अनुयायियों को अपने-अपने धर्म का पालन करने और उसके प्रचार व प्रसार की समान रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त है।

भारतीय संविधान की उपर्युक्त विशिष्टताओं के अन्तर्गत भारत में इस्लामी संदेश के प्रचार-प्रसार का अवसर भी प्राप्त है। अत: जमाअत इस्लामी भारत की शासन-प्रणाली की उक्त इन विशिष्टताओं और इस अर्थ में धर्म-निरपेक्षतावाद की विरोधी नहीं है। अलबत्ता हम वर्तमान शासन सिद्धान्त में हर उस परिवर्तन के विरोधी हैं जो देशवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार की रुकावट डाले।

यह धर्म-निरपेक्षतावाद का एक मर्यादित अर्थ है जो उस अमर्यादित और आक्रामक धर्म-निरपेक्षतावाद के अर्थ से भिन्न है, जो दुनिया के कुछ देशों में प्रचलित है।

धर्म-निरपेक्षतावाद का अमर्यादित अर्थ यह है कि धर्म को मानव जीवन से या कम से कम उसके सामाजिक क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया जाए। शिक्षा-प्रणाली और प्रचार-प्रसार के दूसरे संसाधनों के द्वारा इस बात का आयोजन किया जाए कि एक-एक व्यक्ति के मन-मस्तिष्क का निर्माण इसी धारणा के अन्तर्गत हो कि वह जीवन सम्बन्धी मामलों के विषय में अपने मत और व्यावहारिक नीतियों को धार्मिक शिक्षाओं से मुक्त रखे।

धर्म-निरपेक्षतावाद (Secularism) का यह अर्थ अपने पीछे एक दीर्घकालीन इतिहास रखता है। यहाँ उस इतिहास पर न तो समीक्षा करना अभीष्ट है और न ही इस बात पर कि यूरोप में धर्म-निरपेक्षतावाद ने क्या लाभप्रद कार्य किए और उससे क्या फ़साद व बिगाड़ पैदा हुए। हमें केवल इस तथ्य को याद दिलाना है कि वह धर्म-निरपेक्षतावाद

जिसमें इंसान का व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन ईश्वरीय मार्ग-दर्शन से बिल्कुल मुक्त होता है और यह धर्मनिरपेक्षतावाद अनीश्वरवाद का पर्याय हो, उसका इस्लाम से कोई नाता नहीं बल्कि वह इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध है।

राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता पैदा करने का उचित ढंग यह है कि एक ओर तो आम देशवासियों में संयुक्त हितों, देश की रक्षा व अखण्डता, आर्थिक उन्नति, आन्तरिक शान्ति और समाजिक-कल्याण आदि ज़िम्मेदारियों की संवेदना व समझ पैदा की जाए। दूसरी ओर प्रत्येक वर्ग और समुदाय को इस बात के पूरे अवसर प्राप्त हों कि वह भारतीय संविधान की परिधि में रहते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति और हितों व लाभों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए यथोचित उपाय करे, परन्तु यदि इसके विपरीत भावनात्मक सौहार्द के नाम पर एक विशिष्ट संस्कृति का सारे देश पर आधिपत्य क़ायम कर देने की कोशिश की जाए तो इससे अल्पसंख्यकों में बेचैनी और अविश्वास पैदा होगा और साम्प्रदायिक कशमकश को बल मिलेगा।

लोकसभाई राजनीति और चुनाव

हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक इकाइयों का स्थल है, जिन्हें संविधान की दृष्टि से अपनी शिनाख़्त (पहचान) और विशिष्ट संस्कृति की रक्षा करने तथा उसका विस्तार करने की ज़मानत प्राप्त है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इन मौलिक अधिकारों के मार्ग में सांस्कृतिक आक्रामकता और घृणित साम्प्रदायिकता सख़्त रुकावट बनती रही है जो साम्प्रदायिक एकता के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इस मामले में

विशेष रूप से व्यक्तिगत क़ानून (Personal Law), दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा), वक़्फ़ सम्पत्तियाँ और भाषा आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुस्लिम समस्याओं को संकीर्ण दृष्टि, विरोधपूर्ण व्यवहार और अविश्वासपूर्ण स्थिति का सामना रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व वे हैं जो अतिवादी और तानाशाही कार्य-शैली को पसन्द करते हैं जबकि लोकतन्त्र की बहाली व यथास्थिति जमाअत की दृष्टि में देश की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जमाअत अपने हितों व उद्देश्यों की प्राप्ति और कार्यक्रमों को व्यवहार में लाने के लिए शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक व लोकतान्त्रिक तरीक़े अपनाती है और जनमत के प्रशिक्षण के लिए प्रेरणा व उपदेश से काम लेती है और धर्म व सम्प्रदाय का भेद किए बिना देशवासियों विशेषतः मुस्लिम समुदाय की सहभागिता और सहयोग की इच्छुक और इसके लिए प्रयासरत रहती है। उद्देश्य-प्राप्ति के लिए चुनाव भी एक लाभकारी साधन है। (चुनांचे जमाअत ने 1977 ई० के कुछ विधान सभा चुनावों के अवसर पर लोकतन्त्र की रक्षा और इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को निरस्त करने के उद्देश्य से जमाअत के सदस्यों को वोट (Vote) के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।)

जमाअत के उपर्युक्त महत्वपूर्ण उद्देश्यों से सहमति रखनेवाला और भरोसेमन्द उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में हमारे वोट (Vote) का हक़दार हो सकता है, किन्तु शर्त यह है कि वह उनके लिए यथासंभव प्रयत्न करने का वचन दे और उससे अपने उस वचन को निभाने की आशा हो और वह किसी ऐसे दल या संगठन से सम्बद्ध न हो जो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के विषय में शत्रुतापूर्ण और संवैधानिक प्रतिभूतियों के विरुद्ध रवय्या रखता हो या जो सर्वाधिकारवादी

या तानाशाही व्यवस्था का इच्छुक हो।

इसी प्रकार स्थानीय निकायों (Local Bodies) और ग्राम पंचायतों के चुनावों में हमारी सुनिश्चित शर्तों के अनुसार जमाअत के सदस्य अपना मत (Vote) प्रयोग कर सकेंगे, जिससे जनसेवा और अन्य राष्ट्रीय समस्याओं आदि के हल के सम्बन्ध में, जो स्वयं हमारे कार्यक्रम एवं योजनाओं का एक अंग हैं, सहायता मिल सकेगी।

मर्कज़ी शोबे (केन्द्रीय विभाग)

(1) शोबा दावत (प्रचार-विभाग)

यह शोबा नीचे लिखे कार्यों का दायित्व योजनाबद्ध तरीक़े से निभाएगा:

(क) इस तथ्य का स्पष्टीकरण कि—

☆ इस्लाम ही एकमात्र न्यायपूर्ण और कल्याणकारी व्यवस्था है, और

☆ इंसान के लौकिक एवं पारलौकिक (आख़िरत सम्बन्धी) कल्याण की पूर्णतया निर्भरता अपने जन्मदाता, स्वामी और पालनहार (अल्लाह) की विशुद्ध बन्दगी (उपासना एवं आज्ञापालन) का मार्ग अपनाने से सम्बद्ध है।

(ख) सत्य का सन्देश स्वीकार कर लेनेवालों के सुधार और प्रशिक्षण के कार्यों का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण। यह विभाग दो उपाध्यक्षों की देखभाल में कार्य करेगा।

(2) शोबा तरबियत (प्रशिक्षण-विभाग)

यह विभाग निम्न दायित्व निभाएगा—

(क) जमाअत के सदस्यों तथा कार्यकर्त्ताओं का चतुर्मुखी प्रशिक्षण :

जमाअत के सदस्यों एवं कार्यकर्त्ताओं का मानसिक एवं वैचारिक, ज्ञानात्मक एवं व्यावहारिक और धार्मिक एवं नैतिक प्रशिक्षण इस

प्रकार हो कि जमाअत के लोगों का सम्बन्ध अल्लाह तआला से अधिक से अधिक और मज़बूत हो और वे परलोक (आख़िरत) की चिन्ता और अल्लाह को प्रसन्न करने की भावना के साथ जमाअत के कामों में सक्रिय होते चले जाएँ।

(ख) आन्तरिक स्थायित्व एवं दृढ़ता इस प्रकार हो कि जमाअत के लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार का रूप धारण करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहें और जमाअत के सभी विभाग व्यवस्था और प्रबन्ध की दृष्टि से मज़बूत हो जाएँ।

(ग) चुने गए कार्यकर्त्ताओं की विशिष्ट योग्यताओं — उदाहरणतः — वैचारिक एवं व्यावहारिक, लेखन एवं पत्रकारिता, भाषणात्मक एवं लेख्यात्मक, सत्य की ओर आह्वान करने एवं संगठनात्मक योग्यताओं का संवर्धन हो।

☆ इस उद्देश्य के लिए 'इदारा तहक़ीक़ व तस्नीफ़ इस्लामी' अलीगढ़ से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

(3) शोबा तालीम (शिक्षा-विभाग)

यह विभाग पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी, उनका पुनरावलोकन और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उनके रूपान्तरण का कार्य करता है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उनके बीच मेल-जोल बढ़ाता है।

(4) शोबा हिन्दी (हिन्दी-विभाग)

इस विभाग का पुनर्गठन किया गया है जो लेखन व सम्पादन तथा इस्लामी साहित्य का हिन्दी भाषा में अनुवाद व रूपान्तरण करने का कार्य करता है।

(5) शोबा तहक़ीक़ (शोध-विभाग)

यह विभाग इस्लामी आन्दोलन (तहरीक) की आन्तरिक तथा बाहरी रुकावटों का सर्वेक्षण करता है और जमाअत की शक्ति व क्षमता तथा संसाधनों को सामने रखकर अवसरों से लाभ उठाने की शक्लें निश्चित करता है।

(6) राब्ता आम्मा (जन-सम्पर्क विभाग)

केन्द्र (मर्कज़) के प्रचार-प्रसार और जन-सम्पर्क के कार्यों की व्यवस्था करता है।

(7) ऑडिट और एकाउंट्स विभाग

(ग) समय पर ऑडिट (आय-व्यय की जाँच) की विधवत् व्यवस्था की जाती है। यह विभाग संगठन से संबंधित क्षेत्रों (तंज़ीमी हल्क़ों) के बैतुलमालों (धन कोषों) और वहाँ की विभिन्न संस्थाओं का हिसाब-किताब देखता है।

आख़िरी बात

पिछले पृष्ठों में हमने इस बात का प्रयास किया है कि जमाअत इस्लामी हिन्द की विचारधारा, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जमाअती निज़ाम (व्यवस्था) और इसी प्रकार इससे सम्बन्धित अन्य बातों को स्पष्ट कर दें ताकि न्यायप्रिय इंसान को इस जमाअत के प्रति सही धारणा स्थापित करने में सहायता मिल सके।

हमें इस बात का पूरा एहसास है कि परिचय की एक छोटी पुस्तिका किसी जमाअत के सम्बन्ध में ऐसी धारणा क़ायम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती जो किसी निर्णय और उसके अनुकूल अमल पर तत्पर कर सके। इसलिए उचित होगा कि जमाअत इस्लामी के तैयार किए हुए विशाल साहित्य या कम से कम उन चुनी हुई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए जो इस जमाअत की इस्लाम के प्रति धारणा, विभिन्न समस्याओं के बारे में उसके मतों और गतिविधियों पर विस्तृत प्रकाश डालती हैं।

अन्त में हम अल्लाह तआला के सामने सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि वह हमें अपनी और केवल अपनी बन्दगी व ग़ुलामी (भक्ति व दासता) के सीधे रास्ते पर क़ायम रखे। हमें अपने नेक बन्दों का सहयोग प्रदान करे और जमाअत इस्लामी हिन्द की गतिविधियों को मुस्लिम समुदाय के लिए सत्य की ओर आह्वान करने के अपने मूल आन्दोलन (मिशन) का ध्वजावाहक बनने और ख़ुदा के बन्दों (इंसानों) की हिदायत और अपने दीन (धर्म) की स्थापना का साधन बनाए। आमीन!

रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्न-क अन्तस् समीउल अलीम।

"ऐ हमारे रब! हमारी भूल-चूक और हमारी ग़लतियों पर हमारी पकड़ मत कर। ऐ हमारे रब! हमारी दुआ क़बूल कर, बेशक तू सब कुछ सुनने और सब कुछ जाननेवाला है।"